भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5072
24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के लिए बजट आवंटन

5072. श्री बैजयंत पांडा:
डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आवंटन को 2,465 करोड़ रुपये के बजट

अनुमान से घटाकर संशोधित अनुमान 1,500 करोड़ रुपये किए जाने के क्या कारण हैं और किन-किन प्रमुख घटकों में कटौती की गई है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक मत्स्य निर्यात की वर्ष - वार मात्रा और राशि कितनी है;

(घ) क्या यह कार्यक्रम मत्स्य निर्यात आय को 2024-25 तक एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वित्तीय वर्ष 2021-22 से पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछुआरा बीमा के अंतर्गत राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार कितने मछुआरों को शामिल किया गया है;

(च) केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से वहन की गई कुल बीमा प्रीमियम राशि का वर्षवार और राज्य / संघ

राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(छ) वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मत्स्यपालन क्षेत्र से कुल कितना निर्यात किया गया;

(ज) उक्त अवधि के दौरान ओडिशा राज्य से मात्स्यिकी निर्यात का मूल्य कितना था, और

(झ) क्या इस संबंध में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत और उपाय किए जाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा में हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2021-22 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के कार्यान्वयन के लिए किए गए बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1	2021-22	1000.00	1200.00	1169.19
2	2022-23	1879.00	1410.00	1169.86
3	2023-24	2000.00	1500.00	1148.88
4	2024-25	2352.00	1500.00	977.28
5	2025-26	2465.00	1500.00	1151.72 (15.03.2026 तक)

वित्त वर्ष 2025-26 में PMMSY के तहत बजट अनुमान आवंटन 2,465 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमान में घटकर 1,500 करोड़ रुपए का होने के मुख्य कारण हैं : राज्य सरकारों द्वारा नए फंड प्रवाह तंत्र और तैयारी पर नए दिशानिर्देशों के अनुपालन में देरी, फंड प्रवाह की नई प्रणाली को अपनाने और ऑन-बोर्डिंग में देरी, राज्य सरकार से शेयर प्राप्ति में देरी, विगत वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता साथ ही, अनुमोदन, निविदा, भूमि मुद्दों, तथा परियोजनाओं विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के कारण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा व्यय की धीमी गति एवं मात्स्यिकी और जलकृषि विकास के व्यवहार्य प्रस्तावों की समय पर तैयारी में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर देरी।

(ख) और (घ): मात्रा के संदर्भ में मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात 2021-22 में 13,69,264 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 16,98,170 मीट्रिक टन हो गया है और मूल्य के संदर्भ में यह वित्त वर्ष 2021-22 में 57,586.48 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 62408.45 करोड़ रुपए हो गया है। 2021-22 से मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों के निर्यात का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात	**2021-22**	**2022-23**	**2023-2024**	**2024-25**	**2025-2026 (अप्रैल-25 से जनवरी-26)**
मात्रा (मीट्रिक टन में)	13,69,264	17,35,286	17,81,602	16,98,170	1612788
मूल्य (रुपए करोड़ में)	57,586.48	63,969.14	60,523.89	62408.45	61091.17

भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और उच्च मूल्य प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, PMMSY के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, खारे पानी की जलकृषि का विस्तार, विविधीकरण (डाईवरसिफिकेशन) और गहनता (इंटेन सिफिकेशन), निर्यात उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का समावेश, सुदृढ़ रोग प्रबंधन और ट्रेसेबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन के साथ आधुनिक पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स का विकास आदि के साथ-साथ फिशरीस वैल्यू चैन में कई पहलों/गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है। विगत दशक के दौरान भारत में मत्स्य निर्यात आय दोगुनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 30,213 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 62,408 करोड़ रुपए हो गई है।

(ङ) और (च): इस योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों तथा संबद्ध मत्स्य श्रमिकों को समूह दुर्घटना बीमा योजना [ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम (GAIS)] कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है जिसमें सम्पूर्ण इंश्योरेंस प्रीमियम सामान्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में, हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, पूरा प्रीमियम केंद्र द्वारा भुगतान किया जाता है। PMMSY के तहत प्रदान किए गए बीमा कवरेज में शामिल हैं (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5,00,000 /-रुपए (ii) स्थायी आंशिक शरीरिक अक्षमता के लिए 2,50,000 /-रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 25,000 /-रुपए की राशि । PMMSY के कार्यान्वयन के गत चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) और वर्तमान वित्तीय वर्षों (2025-26) के दौरान, केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष औसतन 33.46 लाख मछुआरों को कवर करते हुए ,167.33 लाख मछुआरों के बीमा कवरेज के लिए 149.07 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान बीमित मछुआरों की संख्या और बीमा के प्रीमियम के लिए जारी की गई केंद्रीय शेयर का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(छ) से (झ): मात्स्यिकी क्षेत्र से निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक के उच्चतम स्तर पर यानि, 62408.45 करोड़ रुपए दर्ज किया गया और वर्तमान वित्त वर्ष (2025-26) की अंतिम तीन तिमाहियों के दौरान निर्यात 61091.17 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि 2024-25 के दौरान राज्य से मात्स्यिकी निर्यात का मूल्य 4708.13 करोड़ रुपए था और वर्तमान वित्त वर्ष की अंतिम तीन तिमाहियों के दौरान निर्यात 4637.32 करोड़ रुपए (जनवरी, 2026 तक) रहा। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने फिशरीस वैल्यू चैन में पोस्ट-हारवेस्ट नुकसान को कम करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा राज्य में कोल्ड चेन और मारकेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है। PMMSY के तहत, आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की 32 यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन वाहनों की 1125 यूनिट्स, 21 आधुनिक कियोस्क और 15 रीटेल मारकेट्स को स्वीकृति दी गई है।

अनुबंध-I

PMMSY के लिए बजट आवंटन के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए संसद सदस्य श्री बैजयंत पांडा और डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5072 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	बीमित मछुआरों की संख्या	बीमा प्रीमियम में केंद्र का शेयर
	राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	4,173	15,634,814
2.	असम	883,630	57,593,811
3.	बिहार	750,000	58,103,715
4.	छत्तीसगढ़	1,102,377	67,002,882
5.	गोवा	14,540	7,474,435
6.	गुजरात	491,237	31,645,793
7.	हरियाणा	8,076	1,339,593
8.	हिमाचल प्रदेश	54,988	4,391,153
9.	झारखंड	836,991	53,795,505
10.	कर्नाटक	362,371	31,265,226
11.	मध्य प्रदेश	504,264	38,862,347
12.	महाराष्ट्र	491,159	32,031,188
13.	मणिपुर	8,534	625,762
14.	मेघालय	4,280	63,636,549
15.	ओडिशा	5,391,593	371,924,579
16.	पंजाब	15,959	1,310,880
17.	राजस्थान	24,426	1,693,696
18.	सिक्किम	2,905	32,054,073
19.	तमिलनाडु	2,781,317	206,496,254
20.	तेलंगाना	1,853,832	130,189,464
21.	त्रिपुरा	181,724	20,563,794
22.	उत्तर प्रदेश	519,570	33,705,988
23.	उत्तराखंड	18,115	1,136,819
24.	पश्चिम बंगाल	8,499	194,638,046
	केंद्र शासित प्रदेश		
1	अंडमान और निकोबार	65,087	5,228,182
2	दिल्ली	1,881	154,438
3	दमन और दीव	38,267	3,092,852
4	जम्मू और कश्मीर	125,309	10,207,033
5	लक्षद्वीप	5,928	453,533
6	लद्दाख	7,888	662,490
7	पुदुच्चेरी	171,456	13,881,474
	कुल योग	**16,730,376**	**1,490,796,367**
